


कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—: संशोधन आदेश :-

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.03.2018 के द्वारा आर.पी.एस.सी द्वारा चयनित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास/वाणिज्य के संशोधन आदेश जारी किये गए थे। उक्त आदेश में निम्नांकित कार्मिक के उनके सामने अंकित कॉलम सं. 5 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-


क्र. सं.	नाम व पदस्थापन	विषय	आदेश क्रमांक व आवेदक की अंकित क्रम संख्या	संशोधन
1	बलजिन्दर कौर राआउमावि रसगण-अलवर	वाणिज्य	शिविरा/मा/संस्था/सी-2/ प्रोटे/वाणिज्य-इतिहास/ नियमितिकरण-स्थाईकरण/ 2017 दिनांक 18.10.2017	शिविरा/मा/संस्था/सी-2/प्रोटे/ वाणिज्य-इतिहास/नियमितिकरण- स्थाईकरण/2018 की जगह शिविरा /मा/संस्था/सी-2/प्रोटे/वाणिज्य -इतिहास/नियमितिकरण-स्थाईकरण /2017 एवं दिनांक 18.10.2018 की जगह दिनांक 18.10.2017 पढ़ा जावें।
2	मीना कुमारी, राउमावि शाहजंहापुर- अलवर	वाणिज्य	शिविरा/मा/संस्था/सी-2/ प्रोटे/वाणिज्य-इतिहास/ नियमितिकरण-स्थाईकरण/ 2018 दिनांक 09.03.2018 क्रम सं0 08	कार्मिक की जन्मतिथि 20.03.1981 के स्थान पर 20.03.1988 पढ़ी जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत पढ़ी जावें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/प्रो.टे./इति.-वाणि./स्थायी./संशोधन/2018 दिनांक:-04.04.2018
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II)...
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओ.ए.सी. प्रभाग कार्यालय हाजा
6. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
7. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर